

**10.** **मुआवजे की प्रणाली सहित कर्मचारियों और कामगारों के मासिक पारिश्रमिक का विवरण।**

**अधिकारियों के लिए**

कार्यपालकों का पारिश्रमिक लोक उद्यम विभाग के निर्देशों द्वारा शासित होता है। न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान दर्शाने वाले कार्यपालकों के लिए मासिक वेतन संरचना निम्नानुसार है:

|  |
| --- |
| **बोर्ड स्तर से नीचे** |
| **वेतन ग्रेड** | **मूलवेतन न्यूनतम** | **मूलवेतन अधिकतम**  | **डीए पैटर्न** |
| ई-0 | 30000 |

|  |  |
| --- | --- |
| 120000 |  |

 | डीए एआईसीपीआई 2001=100 से जुड़ा है जो 01.01.2017 को 277.33 के रूप में है।  |
| ई-1 | 40000 | 140000 |
| ई-2 | 50000 | 160000 |
| ई-3 | 60000 | 180000 |
| ई-4 | 70000 | 200000 |
| ई-5 | 80000 | 220000 |
| ई-6 | 90000 | 240000 |
| ई-7 | 100000 | 260000 |
| ई-8 | 120000 | 280000 |
|  |
| **बोर्ड स्तर के अधिकारी** |
| निदेशक | 160000 | 290000 | जैसा ऊपर उल्लिखित है। |
| अ.प्र.नि. | 180000 | 320000 |

उपरोक्त उल्लिखित सीमाओं के भीतर मूल वेतन के अलावा, कार्यकारी अधिकारी को 01.01.2017 से एआईसीपीआई 277.33 के अनुसार मंहगाई भत्‍ता, मकान किराया भत्‍ता, उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए भत्ता, भविष्‍य निधि, उपदान, छुट्टी का नक़दीकरण, सेवानिवृत्ति पेंशन, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के हकदार हैं और प्रदर्शन संबंधी वेतन जो उन पर लागू हो। उपरोक्त के अलावा कार्यपालकों को अनुमेय अनुलाभों और भत्ते का भुगतान किया जाता है।

**कामगारों के लिए**

कामगारों को मुआवजा मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ बातचीत के माध्यम से दिया जाता है। न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान दर्शाने वाले कामगारों के लिए मासिक वेतन संरचना निम्नानुसार है:

|  |
| --- |
| **कामगार** |
| **वेतन ग्रेड** | **मूलवेतन न्यूनतम** | **मूलवेतन अधिकतम**  | **डीए पैटर्न** |
| डब्‍ल्‍यू-1 | 20000 |

|  |  |
| --- | --- |
| 120000 |  |

 | डीए एआईसीपीआई 1960=100 से जुड़ा है जो 01.01.2018 को 6573 के रूप में है।  |
| डब्‍ल्‍यू-2 | 21000 | 140000 |
| डब्‍ल्‍यू-3 | 22000 | 160000 |
| डब्‍ल्‍यू-4 | 23000 | 180000 |
| डब्‍ल्‍यू-5 | 24000 | 200000 |
| डब्‍ल्‍यू-6 | 25000 | 220000 |
| डब्‍ल्‍यू-7 | 26000 | 240000 |
| डब्‍ल्‍यू-8 | 270000 | 260000 |
| डब्‍ल्‍यू-9 | 280000 | 280000 |
| डब्‍ल्‍यू-10 | 29000 | 116000 |

उपरोक्त उल्लिखित सीमाओं के भीतर मूलवेतन के अलावा, कामगार को 01.07.2018 को 6573 है, जिन्‍हें एआईसीपीआई 1960=100 के अनुसार मंहगाई भत्‍ता मकान किराया भत्ता, परिवार नियोजन भत्ता, उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए भत्ता, भविष्‍य निधि, उपदान, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ और उनके लिए लागू नई पेंशन योजना के हकदार हैं। उपरोक्त के अलावा, कामगारों को प्रासंगिक दीर्घकालिक वेतन समझौते के तहत स्वीकार्य अनुलाभ और भत्ते का भुगतान किया जाता है।